

प्रेस नोट

आज दिनांक 16.11.2020 को *मिशन शक्ति* के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा बालक/बालिकाओं के साथ बाल संवाद किया गया। जिसमें विपिन बिहारी चक्रवर्ती बालिका इण्टर कालेज, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, विकास इण्टर कालेज, सन शाईन इण्टर कालेज, रानीमुरार बालिका इण्टर कालेज व सेन्ट्रल ब्वायज स्कूल से आये मान्या वर्मा, जूली यादव, ज्योति पटेल, आरिफा तबस्सुम, कनीज फातिमा, दीपिका सिंह, आयुषी मण्डल, शिवांगी सिंह, नैन्सी सिंह व 03 बालक सम्मिलित हुए। बाल संवाद के दौरान बच्चों द्वारा जिज्ञासावश कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, कैरियर इत्यादि विषयों पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी से चर्चा की गयी, जिसके दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा सभी विषयों पर बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।





प्रेस नोट

आज दिनांक 16.11.2020 थाना लालपुर पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा शांतिर अपराधी रमेश कुमार वेनवंशी व शंकर वेनवंशी गिरफ्तार, कब्जे से नाजायज 600 ग्राम हेरोइन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रूपये), 01 अदद चोरी की स्कूटी, चोरी की घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बजाज प्लेटिना व 01 अदद इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद

आज दिनांक 16.11.2020 को थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा धरातलीय अभिसूचना/इलेक्ट्रानिक सर्वािलांस/मुखबिर की सहायता से 02 अभियुक्तों रमेश कुमार वेनवंशी व शंकर वेनवंशी को बघवाबीर बाबा मन्दिर हुकुलगंज पाण्डेयपुर के पास से समय करीब 10.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से मु0अ0सं0 236/2020 धारा 380 आईपीसी से सम्बन्धित एक अदद चोरी की स्कूटी, चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल, 600 ग्राम नाजायज हेरोइन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रूपये) व 01 अदद इलेक्ट्रानिक तराजू बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लालपुर-पाण्डेयपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 240/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट व 241/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ करने पर रमेश वेनवंशी उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैंने उक्त स्कूटी को नई बस्ती पाण्डेयपुर से दि0 14.11.2020 को चोरी किया था तथा हम लोग मिलकर हेरोइन की तस्करी करके लोगों को बेचते हैं, जिससे हमें काफी पैसा मिलता है। आज हम लोग बघवाबीर बाबा मन्दिर के पास हेरोइन बेच रहे थे कि आप लोगों द्वारा हम लोगों को पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रमेश कुमार वेनवंशी पुत्र बच्चे लाल निवासी के 56/15 औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी
2. शंकर वेनवंशी पुत्र बच्चे लाल निवासी के 56/15 औसानगंज थाना जैतपुरा वाराणसी

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद चोरी की स्कूटी
2. चोरी की घटना में प्रयुक्त एक अदद बजाज प्लेटिना मोटरसाईकिल
3. 600 ग्राम नाजायज हेरोइन (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60 लाख रूपये)
4. 01 अदद इलेक्ट्रानिक तराजू

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 236/2020 धारा 380/411 आईपीसी बनाम रमेश कुमार वेनवंशी
2. मु0अ0स0 240/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शंकर वेनवंशी
3. मु0अ0स0 241/2020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम रमेश कुमार वेनवंशी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश राय थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
2. उ0नि0 राजकुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी पाण्डेयपुर
3. उ0नि0 हरिशंकर थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
4. उ0नि0 आदित्य कुमार सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
5. उ0नि0 कमलेश वर्मा थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
6. का0 देवमणि त्रिपाठी थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी
7. का0 हरेन्द्र सिंह थाना लालपुर पाण्डेयपुर वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

थाना लोहता पुलिस द्वारा हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल ₹0 19,430/- बरामद हुआ।

दिनांक 15.11.2020 को थाना लोहता पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर चुरावनपुर भट्टा टॉवर के पास खुले मैदान से ताश के पत्तों से हार जीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुए कुल 08 अभियुक्तों 1. विजय पटेल पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष, 2. ईदल पटेल पुत्र स्व0 राज कुमार पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष, 3. श्याम लाल पटेल पुत्र स्व0 मन्ना लाल पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष, 4. भोला मौर्या पुत्र राजू मौर्या निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष, 5. सतीश गौड़ पुत्र श्याम लाल गौड़ निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी, 6. सूरज कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी, 7. अनूप राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी चाँदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष व 8. जमशेद खान पुत्र महबूब खान निवासी चाँदपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष को समय करीब 17.20 बजे गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कुल 19430/- रुपये (मालफड के ₹0 2210/- व जामा तलाशी के ₹0 17,220/-) एवं ताश के 52 पत्ते बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 275/2020 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विजय पटेल पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 27 वर्ष
2. ईदल पटेल पुत्र स्व0 राज कुमार पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 29 वर्ष
3. श्याम लाल पटेल पुत्र स्व0 मन्ना लाल पटेल निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 48 वर्ष
4. भोला मौर्या पुत्र राजू मौर्या निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 28 वर्ष
5. सतीश गौड़ पुत्र श्याम लाल गौड़ निवासी चुरावनपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी
6. सूरज कुमार पुत्र प्रमोद कुमार निवासी चुरावनपुर थाना लोहता वाराणसी
7. अनूप राजभर पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी चाँदपुर थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 26 वर्ष
8. जमशेद खान पुत्र महबूब खान निवासी चाँदपुर थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. कुल 19430/- रूपये (मालफड के रू0 2210/- व जामा तलाशी के रू0 17,220/-)
2. ताश के 52 पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अभिषेक राय, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश यादव, उ0नि0 अक्षय कुमार सिंह, उ0नि0 सन्दीप कुमार पाण्डेय, उ0नि0 सुभाष वर्मा, का0 अनूप कुमार वर्मा, का0 पवन कुमार सिंह, का0 दिवाकर गुप्ता व का0 शंकर राम थाना लोहता वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 16.11.2020 को थाना शिवपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0652/2020 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01. कृपाशंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 आलोकीनाथ उपाध्याय निवासी भगतपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 60 वर्ष व 02.प्यारेलाल उर्फ सुरेश उपाध्याय पुत्र स्व0 राममूरत उपाध्याय निवासी एसएच 7/3 सी भगतपुर थाना शिवपुर वाराणसी को उनके घर से समय करीब 05.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. कृपाशंकर उपाध्याय पुत्र स्व0 आलोकीनाथ उपाध्याय निवासी भगतपुर थाना शिवपुर वाराणसी उम्र करीब 60 वर्ष
2. प्यारेलाल उर्फ सुरेश उपाध्याय पुत्र स्व0 राममूरत उपाध्याय निवासी एसएच 7/3 सी भगतपुर थाना शिवपुर वाराणसी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 आनन्द कुमार चौरसिया व का0 विरेन्द्र सरोज थाना शिवपुर वाराणसी।



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 15.11.2020 को थाना आदमपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर की सूचना पर दीवानगंज के पंडित नेहरू स्कूल के पीछे से हार जीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे कुल 07 अभियुक्तों 1. ऋषभ केशरी पुत्र गोविन्द केशरी निवासी ए 9/21 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष, 2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० प्यारे लाल निवासी ए 24/44 कोयला बाजार थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष, 3. मनीष गुप्ता पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण गुप्ता निवासी सी 6/113 चौसठवा थाना चेतगंज वाराणसी उम्र 28 वर्ष, 4. गोलू पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ए 9/21 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष, 5. गौरव गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार निवासी 9/23 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष, 6. आशीष अग्रहरि पुत्र स्व० बच्चे लाल निवासी ए 18/05 दीवानगंज थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष व 7. जतिन पुत्र मनोज जायसवाल निवासी ए 9/27 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से कुल रू० 20,840/- (मालफड़ के 13,480 रू० व जामा तलाशी के 7,360/- रू०), कुल 08 अदद मोबाईल फोन व ताश के 52 पत्ते बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 120/2020 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. ऋषभ केशरी पुत्र गोविन्द केशरी निवासी ए 9/21 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष
2. भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व० प्यारे लाल निवासी ए 24/44 कोयला बाजार थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष
3. मनीष गुप्ता पुत्र स्व० लक्ष्मीनारायण गुप्ता निवासी सी 6/113 चौसठवा थाना चेतगंज वाराणसी उम्र 28 वर्ष
4. गोलू पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ए 9/21 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 26 वर्ष
5. गौरव गुप्ता पुत्र सुरेश कुमार निवासी 9/23 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष
6. आशीष अग्रहरि पुत्र स्व० बच्चे लाल निवासी ए 18/05 दीवानगंज थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 24 वर्ष
7. जतिन पुत्र मनोज जायसवाल निवासी ए 9/27 कायस्थ टोला थाना आदमपुर वाराणसी उम्र 22 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. कुल रू० 20,840/- (मालफड़ के 13,480 रू० व जामा तलाशी के 7,360/- रू०)
2. कुल 08 अदद मोबाईल फोन

3. ताश के 52 पत्ते

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव चौकी प्रभारी आदमपुर, हे0का0 लल्लन प्रसाद, का0 राकेश सिंह, का0 विजयशंकर गुप्ता व का0 सचिन कुमार थाना आदमपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvnns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 108/2020 दिनांक: नवम्बर, 16/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 16.11.2020 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 177 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5489 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 1096 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 142 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1289 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 04 व्यक्तियों के विरुद्ध 34 पुलिस एक्ट में कार्यवाही, 01 व्यक्ति के विरुद्ध 290 भादवि की कार्यवाही, 08 के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान, 11 के विरुद्ध 151 सीआरपीसी में चालान, 50 मनचलों को हिदायत एवं 28 मनचलों को सख्त चेतावनी दी गयी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi
संख्या: पीआरओ 109/2020 दिनांक: नवम्बर, 16/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक बिना मास्क के घूम रहे व्यक्तियों, कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों व यातायात नियमों का उल्लंघन करने व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 16-11-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 63 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *07 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। बिना मास्क धारण किये *कुल 580 व्यक्तियों से रु-16,000/- जुर्माना* जमा कराया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनपदीय पुलिस व यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1551 वाहनों का चालान, 04 वाहनों को सीज तथा 46 वाहनों से रु-35,600/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।